न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीराम जी भाई कलबी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 57/2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2024/92

प्रार्थीगण

1. बैनाराम पुत्र हेमाराम निवासी ग्राम पाबूनगर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जेठूसिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 14/5/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम पाबूनगर, पटवार हल्का चिडवाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण में खसरा नम्बर 121/2 भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नही है। खेतों के बीच कोई पक्की माठ व मुटाम नही होने से सभी को अपने–अपने खेतों की सीमा का सही ज्ञान नही है। हर समय पडौसी खातेदार प्रार्थीगण व पडौसी खेत के खातेदारों को सीमा को लेकर परेशान करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि उक्त खसरे का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने हेतु पडौसी खातेदारों को सुनकर आदेश करना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उक्त पत्रावली में पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है अगर पडोसी खातेदारो को उक्त पत्रावली में पक्षकार बनाया जाता है तो प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त होने मे अत्यधिक विलम्ब होगा जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही रह जाता है तथा प्रार्थीगण अपने खेत की सीमाज्ञान करवाने एवं पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार रखता है।

अतः ग्राम पाबूनगर, पटवार हल्का चिडवाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण में खसरा नम्बर 121/2 भूमि की पैमाईश हेतु तहसीलदार बालेसर को भू मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बालेसर राजस्व मण्डल राज. अजमेर के नियमानुसार उक्त आराजी वादग्रस्त भूमि की पैमाईश पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी करें। फसल खडी होने की सूरत मे फसल कटाई के पश्चात् सीमाज्ञान/पत्थरगढी किया [illegible]

आज दिनांक 14/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार[illegible] मो[illegible] से जारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.28 18:00:11 IST
Reason: SelfAttested

(रा[illegible] भाई कलबी)
पी[illegible]न अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर